

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

मांग संख्या 56

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2015-2016			बजट 2016-2017			संशोधित 2016-2017			बजट 2017-2018		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1766.11	...	1766.11	5411.00	...	5411.00	5285.00	...	5285.00	6406.00	...	6406.00
<b>वसूलियां</b>	-5.38	...	-5.38	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>प्राप्तियां</b>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>निवल</b>	<b>1760.73</b>	...	<b>1760.73</b>	<b>5411.00</b>	...	<b>5411.00</b>	<b>5285.00</b>	...	<b>5285.00</b>	<b>6406.00</b>	...	<b>6406.00</b>
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय												
1.01 सचिवालय	7.97	...	7.97	9.60	...	9.60	11.57	...	11.57	12.14	...	12.14
1.02 अंतरराष्ट्रीय योगदान	2.16	...	2.16	1.40	...	1.40	3.33	...	3.33	2.05	...	2.05
<b>जोड़- सचिवालय</b>	<b>10.13</b>	...	<b>10.13</b>	<b>11.00</b>	...	<b>11.00</b>	<b>14.90</b>	...	<b>14.90</b>	<b>14.19</b>	...	<b>14.19</b>
<b>राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण</b>												
<b>केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं</b>												
<b>प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)</b>												
2. पीएमएवाई-शहरी												
2.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह हेतु ऋण से जुड़ी सव्मिडी योजना-I	200.12	...	200.12	475.00	...	475.00	475.00	...	475.00	400.00	...	400.00
2.02 मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सव्मिडी योजना-II	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	...	1000.00
2.03 क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी)	...	...	...	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00
2.04 समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास, निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संबद्धन परिषद तथा राष्ट्रीय भवन संगठन	17.60	...	17.60	10.10	...	10.10	13.10	...	13.10	11.81	...	11.81
2.05 केंद्रीय घटक की अन्य मदें	45.92	...	45.92	69.90	...	69.90	45.57	...	45.57	55.00	...	55.00
2.06 जापानी बुखार और एक्यूट एनसेफेलिटिस सिंड्रोम से प्रभावित गंदी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की योजना	...	...	...	5.00	...	5.00	...	...	...	10.00	...	10.00



	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन	...	12871.27	12871.27	...	16416.24	16416.24	...	13623.92	13623.92	...	13716.00	13716.00
<b>जोड़</b>	...	<b>12871.27</b>	<b>12871.27</b>	...	<b>16416.24</b>	<b>16416.24</b>	...	<b>13623.92</b>	<b>13623.92</b>	...	<b>13716.00</b>	<b>13716.00</b>

(₹ करोड़)

1.01. **सचिवालय:** प्रावधान सचिवालय के व्यय के लिए है। इसमें नेशनल बिल्डिंग संगठन, मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों कल्याण आवास संगठन को अनुदान पर खर्च भी शामिल है।

1.02. **अंतरराष्ट्रीय योगदान:** प्रावधान राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम और एशिया प्रशांत क्षेत्र के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आवास एवं शहरी विकास पर करने के लिए मानव बस्तियों और वार्षिक सदस्यता शुल्क के लिए संयुक्त राष्ट्र के केंद्र के लिए योगदान भी शामिल है।

2. **पीएमएवाई-शहरी:** प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की योजना है, वर्ष 2022 तक हर घर के लिए पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य के लिए है।

2.01. **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों/निम्न आय समूह हेतु ऋण से जुड़ी सव्मिडी योजना-I:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सव्मिडी योजना (सी एल एस एस) -I के तहत ईडब्ल्यूएस / एलआईजी वर्ग के लिए आवास ऋण पर ब्याज सव्मिडी प्रदान करने के लिए है।

2.02. **मध्यम आय समूह के लिए ऋण से जुड़ी सव्मिडी योजना-II:** यह प्रावधान क्रेडिट लिंकड सव्मिडी योजना (सी एल एस एस) -II के तहत MIG के लिए आवास ऋण पर ब्याज सव्मिडी प्रदान करने के लिए है।

2.03. **क्रेडिट जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीआरजीएफटी):** क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत प्रावधान अनुसूचित विज्ञापनों / सहकारी बैंकों द्वारा कोलेटरल या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना इस तरह के आवास ऋणों के लिए प्रभावी गारंटी प्रदान करना है।

2.04. **समावेशी शहरी अभिशासन हेतु संस्थागत विकास, निर्माण सामग्री तथा प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद तथा राष्ट्रीय भवन संगठन:** इस प्रावधान को बढ़ावा देने के लिए नवीन प्रौद्योगिकी / प्रदर्शन के मकानों के लिए, समावेशी शहरी शासन के लिए संस्थागत विकास, राष्ट्रीय भवन संगठन और भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्द्धन परिषद के लिए है।

2.05. **केंद्रीय घटक की अन्य मदें:** यह प्रावधान स्थापना व्यय, क्षमता निर्माण गतिविधियों और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्य विविध केंद्रीय घटक के लिए है।

2.06. **जापानी बुखार और एक्यूट एनसिफेलिटिस सिंड्रोम से प्रभावित गंदी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की**

**योजना:** जापानीज इन्सेफेलाइटिस / एक्यूट इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम (जेई / एईएस) प्रावधान जापानी इन्सेफेलाइटिस से प्रभावित स्वाम क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है।

2.07. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक की अन्य मदें:** प्रावधान पी एम् ए वाई (यू) की इस योजना के तहत राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है। यह भी अनुसूचित जाति घटक (एससीसी) और अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) पर होने वाले खर्च भी शामिल है।

3. **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन:** प्रावधान डी ए वाई-एनयूएलएम, गरीब की मजबूत जमीनी संस्थानों के सृजन के माध्यम के रूप में भी लाभकारी स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार के अवसरों का उपयोग करने के लिए उन्हें सक्षम करने से गरीबी और शहरी गरीब परिवारों के जोखिम को कम करने के उद्देश्य से इस योजना के लिए है। मिशन भी शहरी सड़क विक्रेताओं का मतलब है कि शहरी बेघर करने के लिए आवश्यक सेवाओं के साथ सुसज्जित घरों में उपलब्ध कराने पर और आजीविका को संबोधित करना है।

3.01. **केंद्रीय घटक:** प्रावधान स्थापना व्यय, मिशन निदेशालय और अन्य विविध में क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए है। एनयूएलएम की योजना के लिए केंद्रीय घटक है।

3.02. **राज्य/संघ राज्य क्षेत्र घटक:** प्रावधान एनयूएलएम की योजना के तहत राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेश को केंद्रीय सहायता जारी करने के लिए है और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए पिछली योजनाओं के तहत राज्यों की परियोजनाओं की ओर व्यय को पूरा करने के लिए है।